भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 884
(दिनांक 27.07.2023 को उत्तर देने के लिए)

पीआईबी द्वारा तथ्यों की जांच किया जाना

884. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा इसकी शुरुआत से लेकर अब तक वर्ष-वार कितने तथ्यों की जांच की गई है;

(ख) क्या सरकार पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा तथ्यों की जांच करके भ्रामक बताई गई सामग्री को हटाने के लिए आगे कोई कदम उठाती है;

(ग) क्या पीआईबी की तथ्य जांच इकाई द्वारा की गई तथ्यों की जांच के आधार पर किन्हीं अकांउट और अन्य ऑनलाइन, विशेषकर सोशल मीडिया सामग्री को ब्लॉक करने के लिए कोई आदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ऑनलाइन तथ्यों की जांच करने वाले प्लेटफार्मों को सरकार से पंजीकरण प्राप्त करने का निदेश देने का विचार कर रही है ताकि उनसे अधिक जवाबदेही की अपेक्षा की जा सके?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय के तहत नवंबर, 2019 में एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है जो केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों का स्वत: या नागरिकों द्वारा इसके पोर्टल पर या ई-मेल और सोशल

मीडिया के माध्यम से भेजे गए प्रश्नों द्वारा संज्ञान लेती है और भारत सरकार की नीतियों, स्कीमों, दिशानिर्देशों, पहलों आदि से संबंधित सही और अद्यतन जानकारी के साथ प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देती है। यह यूनिट एक ट्विटर अकाउंट @PIBFactcheck भी चलाती है और उस पर नियमित आधार पर फर्जी खबरों का भंडाफोड़ किए जाने के मामले पोस्ट करती है। एफसीयू द्वारा इसकी स्थापना के बाद से किए गए फैक्ट चेक का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

2019 (नवंबर, 2019 से)	19
2020	394
2021	285
2022	338
2023 (17 जुलाई, 2023 तक)	240
कुल	1276

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिसंबर, 2021 से सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार सहिता) नियम, 2021 के भाग-III के प्रावधानों के तहत 120 यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों सहित 635 यूआरएल को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए आम जनता की पहुंच से ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी किए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में नहीं पाई जाती है या जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के प्रावधानों के अनुसरण में फर्जी समाचारों सहित उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध करने हेतु उकसाने से रोकने के लिए है।

(ङ): सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार फैक्ट चेक करने वाले समाचार प्रकाशकों सहित समाचार और समसामयिक विषयों के किसी भी प्रकाशक को डिजिटल मीडिया पर पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है; उन्हें केवल नियम 18 के तहत सरकार को जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

*****